



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 6

भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था



विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	संविधान का निर्माण	1
2	संविधान की मुख्य विशेषताएँ	9
3	संवैधानिक संशोधन और आधारभूत संरचना का सिद्धांत	15
4	प्रस्तावना एवं नागरिकता	25
5	मूल अधिकार	33
6	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	50
7	मौलिक कर्तव्य	55
8	राष्ट्रपति	58
9	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	68
10	संसद	73
11	सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा	94
12	संवैधानिक निकाय	103
13	गैर-संवैधानिक निकाय	109
14	संघवाद	121
15	लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली	130
16	राज्यपाल	138
17	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	146
18	राज्य विधानमंडल	155
19	उच्च न्यायालय	167
20	स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज	177
21	स्थायी राज्य कार्यपालिका	193
22	राजस्थान का जिला प्रशासन	200
23	राजस्थान के संवैधानिक निकाय	209

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	राजस्थान के गैर-संवैधानिक निकाय	218
25	राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022	234

1

CHAPTER

संविधान का निर्माण

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

- प्रश्न 1.** किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था ? (2024)
- (1) हिंदू महासभा (2) स्वराज दल
(3) समाजवादी दल (4) मुस्लिम लीग
- प्रश्न 2** भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए : (2023)
- (i) संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ ।
(ii) इस अंतिम अधिवेशन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए ।
- (1) न तो (i) न ही (ii) सही है (2) (i) और (ii) दोनों सही हैं
(3) केवल (ii) सही है (4) केवल (i) सही है
- प्रश्न 3** सूची-I का सूची - II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए (2021)
- | | |
|-------------------|----------------------|
| सूची-I | सूची-II |
| संविधान सभा समिति | अध्यक्ष |
| (A) मूल अधिकार | (i) बी. आर. अम्बेडकर |
| (B) कार्य संचालन | (ii) जवाहरलाल नेहरू |
| (C) संघ शक्ति | (iii) के. एम. मुंशी |
| (D) प्रारूप | (iv) सरदार पटेल |
- कूट -
- (1) A- (iv), B- (iii), C- (ii), D- (i) (2) A- (ii), B- (iv), C- (iii), D- (i)
(3) A- (iii), B- (iv), C- (ii), D- (i) (4) A (ii), B- (iii), C- (iv), D- (i)
- प्रश्न 4** निम्नलिखित में से किसने कहा था, "एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है" ? (2021)
- (1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (2) जवाहर लाल नेहरू
(3) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (4) महात्मा गांधी
- प्रश्न 5** 'गांधियन कॉन्स्टीट्यूशन फॉर फ्री इण्डिया' किसने लिखी ? (2018)
- (1) अरुणा आसफ अली (2) अच्युत पटवर्धन
(3) श्रीमन नारायण अग्रवाल (4) हुमायूँ कबीर

प्रश्न 6 भारतीय संविधान सभा के सम्बन्ध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं ? (2018)

- (A) यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ।
(B) यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी ।
(C) यह बहुदलीय संरचना नहीं थी ।
(D) यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए :

कूट :

- (1) (A) और (D) (2) (A) और (B)
(3) (B) और (C) (4) (A), (B), (C) और (D)

प्रश्न 7 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए: (2018)

सूची-I (लेखक)

- (A) अतुल कोहली
(B) ग्रेनविल ऑस्टिन
(C) पेन्डेरल मून

(D) एलन ग्लेडहिल

सूची-II (पुस्तकें)

- (i) डिवाइड एण्ड क्विट
(ii) दी सक्सेस ऑफ इण्डियाज़ डेमोक्रेसी
(iii) दी रिपब्लिक ऑफ इण्डिया : डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टीट्यूशन
(iv) वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टीट्यूशन : ए हिस्ट्री ऑफ ऑफ दी इण्डियन एक्सपीरियंस

कूट :

- (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
(1) (iii) (iv) (i) (ii) (2) (ii) (i) (iii) (iv)
(3) (ii) (iv) (i) (iii) (4) (i) (ii) (iii) (iv)

विश्लेषण - प्रतिवर्ष संविधान सभा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने के कारण यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान सभा की संरचना, उसका गठन और कार्यप्रणाली, और विभिन्न समितियों (विशेषकर मुख्य समितियों) के बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसलिए, यह अध्याय भारतीय संविधान की रूपरेखा और संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और तथ्यों को सम्मिलित करता है।

संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ या परंपरा है, जिसमें किसी राष्ट्र, संगठन, या संस्था के मौलिक सिद्धांत और स्थापित परंपराएं होती हैं। यह सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं:

1. लिखित संविधान: इसमें सरकार की संरचना और कार्यों का एक औपचारिक विवरण होता है।
2. अलिखित संविधान: यह समय के साथ विकसित हुए कानूनों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का संग्रह होता है।

संविधान की भूमिकाएँ और कार्य

1. यह समाज के सदस्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कुछ बुनियादी नियम प्रदान करता है।
2. यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा।
3. यह सरकार के अधिकारों पर कुछ सीमाएं तय करता है ताकि नागरिकों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगे। ये सीमाएं मौलिक होती हैं और सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती।

4. यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाता है।
5. यह बुनियादी मानदंडों और सिद्धांतों को परिभाषित करके राजनीतिक और नैतिक पहचान तय करता है।

महत्वपूर्ण कथन

- “संविधान का ढांचा केवल कानूनी संरचना स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।” - ग्रेनविल ऑस्टिन
- “भारतीय संविधान स्वयं राष्ट्र की ‘आधारशिला’ है। राष्ट्र संविधान के कारण ही अस्तित्व में है।” - ग्रेनविल ऑस्टिन
- “भारतीय संविधान संवैधानिकता के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग है। यह अन्य संविधानों की तरह एक सामान्य दस्तावेज़ नहीं है।” - पी. भानु मेहता
- “यह पवित्र है। अन्य देशों में क्रांतियों के कारण संविधान बने, लेकिन भारतीय संविधान स्वयं क्रांतिकारी है।” - पी. भानु मेहता
- “संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा युग की भावना है।” - डॉ. बी.आर. आंबेडकर
- “संवैधानिक नैतिकता प्राकृतिक भावना नहीं है; इसे सोचा-समझा जाना चाहिए।” - डॉ. बी.आर. आंबेडकर
- “संविधान, एक मशीन की तरह, एक निर्जीव वस्तु है। यह जीवन उन लोगों के कारण प्राप्त करता है, जो इसे नियंत्रित करते हैं। भारत को आज ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो देश के हित को प्राथमिकता दें।” - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संविधान से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक


- द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन – ग्रेनविल ऑस्टिन
- वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन: ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस – ग्रेनविल ऑस्टिन
- द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया – पी. एम. बक्शी
- द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव – वी. डी. महाजन
- द रिपब्लिक ऑफ इंडिया: डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन – पेंडरल मून
- द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया: ए क्रिटिकल कमेंट्री – एच. एम. सीरवाल
- एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया – डी. डी. बसु
- द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: ए केस स्टडी इन इम्प्लीमेंटेशन – एस. एन. महेश्वरी
- द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया – बी. शिव राव
- द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन यूनियन – एम. पी. जैन
- इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन: ए पॉलिटिकल एनालिसिस – राजीव धवन
- कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया – एम. वी. पाईली
- द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: ए कंपैरेटिव स्टडी – एम. सी. सीतलवाड
- गांधीवादी संविधान फॉर फ्री इंडिया – वी. के. कृष्ण मेनन
- डिवाइड एंड क्विट – अतुल कोहली
- द सक्सेस ऑफ इंडिया’स डेमोक्रेसी – ग्रेनविल ऑस्टिन

1. संविधान सभा

संविधान सभा, भारतीय संविधान का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक उत्तरदायी निकाय थी। इसका गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और विभिन्न रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया।

भारत के संविधान का निर्माण

समयावधि



कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया:

- **कुल सदस्य = 389**, जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे।
 - ✓ ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें निर्धारित की गईं-
 - 11 गवर्नर प्रांतों से- 292 सदस्य
 - 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से- 4 सदस्य
 - ✓ देशी रियासतों के लिए 93 सीटें निर्धारित की गईं।
- सीटों का आबंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया।
- ब्रिटिश प्रांतों में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बटवारा किया गया।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा के उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व से किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था।
- ब्रिटिश भारतीय प्रांतों (296 सीटों) के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए।
- **चुनाव परिणाम-**
 - ✓ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - 208 सीट
 - ✓ मुस्लिम लीग- 73 सीट
 - ✓ स्वतंत्र उम्मीदवार- 15 सीट
- प्रारंभ में देशी रियासतों को आबंटित 93 सीटें रिक्त रही, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था।
- हालांकि 28 अप्रैल, 1947 को 6 रियासतों (बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर) के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए।
- माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के बाद अन्य देशी रियासतें भी संविधान सभा में शामिल हो गईं।
- तत्पश्चात् भारतीय क्षेत्रों से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हो गए।
- महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करने तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके पुनः निर्वाचन की माँग की

1.1 संविधान सभा की कार्यप्रणाली

- संविधान सभा की पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946।
 - ✓ मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की।
 - पहली बैठक में केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे।
 - ✓ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना गया)।
 - ✓ बाद में 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
 - उपाध्यक्ष- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी (16 जुलाई, 1948 को सर्वसम्मति से निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में नामित)।

1.2 उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे 22 जनवरी, 1947 को सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया।
- महत्वपूर्ण प्रावधान:
 - ✓ भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया।
 - ✓ भारत, ब्रिटिश भारत के उन क्षेत्रों का संघ होगा जो इसमें शामिल होंगे।
 - ✓ भारतीय सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसे सभी अवशिष्ट शक्तियाँ और सरकार एवं प्रशासन के सभी अधिकार दिए जाएंगे।
 - ✓ स्वतंत्र भारत की शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।
 - ✓ भारत के सभी नागरिकों हेतु निम्न अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे:
 - न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
 - समानता - अवसर की समानता और विधि के समक्ष समता
 - स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, उपासना, कार्रवाई और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
 - ✓ अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
 - ✓ संघ की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू-क्षेत्र, समुद्र, और वायु क्षेत्र को सभ्य राष्ट्रों के न्याय और कानून के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
 - ✓ विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करना और विश्व शांति एवं मानवता के कल्याण के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान देना।

1.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पश्चात् परिवर्तन

- संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गई, जो संविधान निर्माण के साथ-साथ विधायिका के रूप में भी स्थापित हुई।
 - ✓ इसका कार्य संविधान निर्माण (संविधान सभा के रूप में) और देश के लिए सामान्य कानून निर्माण (विधायिका के रूप में) करना था।
 - संविधान सभा के रूप में: अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
 - विधायिका के रूप में: अध्यक्ष - जी.वी. मावलंकर (26 नवंबर, 1949 तक)
- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, जिससे-
 - ✓ संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई।
 - ✓ भारतीय प्रांतों की सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 रह गई।
 - ✓ रियासतों की सदस्य संख्या 93 से घटकर 70 रह गई।

1.4 संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन किया।
- 22 जुलाई, 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से वर्ष 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद निर्मित संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।

2. संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
	संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (5 उप - समितियाँ)	सरदार वल्लभभाई पटेल
	मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी.कृपलानी
	अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
	उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम को छोड़कर एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति	गोपीनाथ बरदोलोई
	बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति	ए.वी. ठक्कर
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	राज्य समिति (राज्यों से समझौता करने के लिए)	जवाहरलाल नेहरू
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति (Credentials Committee)	ए.के. अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी
	राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रान्त आयोग	एस. के. धर
	संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी	

2.1 प्रारूप समिति

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया।
- 7 सदस्यों वाली इस समिति में निम्न सदस्य शामिल थे:
 - ✓ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर - अध्यक्ष
 - ✓ सैयद मोहम्मद सादुल्ला
 - ✓ एन. गोपालस्वामी अय्यंगर
 - ✓ एन.एम. राव
 - ✓ अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
 - ✓ टी.टी. कृष्णमाचारी
 - ✓ डॉ. के.एम. मुंशी
- पहला प्रारूप फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया।
- दूसरा प्रारूप अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ।

- एस.एन. मुखर्जी = संविधान के मुख्य प्रारूपकार
- प्रेम बहारी नारायण रायज़ादा = सुलेखक/सुलेखकर्ता
 - ✓ संविधान के मूल प्रति को अपने हाथों से सुंदर प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा।
- सजावट और अलंकरण - नंदलाल बोस और ब्योहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा।
- हिंदी संस्करण का सुलेखक = वसंत कृष्ण वैद्य
 - ✓ सजावट और अलंकरण - नंदलाल बोस
- संविधान सभा का प्रतीक - हाथी
 - ✓ हाथी की आकृति सभा की मुहर पर उकेरी गई थी।
- मूल रूप से, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा में किसी अधिकृत पाठ का प्रावधान नहीं था।
 - ✓ वर्ष 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अंतिम भाग में एक नया अनुच्छेद 394-A जोड़ा गया, जिससे यह प्रावधान बना।

2.2 संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रथम वाचन के लिए प्रस्तुत किया।
- द्वितीय वाचन- 15 नवंबर 1948
- तृतीय वाचन- 14 नवंबर 1949
- संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ (संविधान दिवस)
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में शामिल थे:
 - ✓ प्रस्तावना
 - ✓ 395 अनुच्छेद
 - ✓ 8 अनुसूचियाँ
- नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, और संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित जुड़े अनुच्छेदों 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 के प्रावधान 26 नवंबर 1949 से लागू हुए तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- हालांकि 'प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम (1949)' जारी रहा।

संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ:

- 9 दिसंबर 1946: संविधान सभा की पहली बैठक हुई; मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
- 11 दिसंबर 1946: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए; उपाध्यक्ष: एच. सी. मुखर्जी और वी. टी. कृष्णमाचारी।
- 13 दिसंबर 1946: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- 22 जनवरी 1947: उद्देश्य प्रस्ताव और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 15 अगस्त 1947: सत्ता का हस्तांतरण; भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए।
- मई 1949: भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की।
- 26 नवंबर 1949: भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। इस दिन को संविधान दिवस भी कहा जाता है।
- 24 जनवरी 1950: राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया; डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए; संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई।
- 26 जनवरी 1950: भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना।



Toppersnotes
Unleash the topper in you

2

CHAPTER

संविधान की मुख्य विशेषताएँ

विश्लेषण - हाल के समय में भारतीय राजव्यवस्था के इस खंड से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय को परीक्षा के प्रश्नों की प्रवृत्ति, गहराई और आयामों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तथ्यों को आसानी से और प्रभावी ढंग से याद रखने के महत्वपूर्ण तरीके भी इस अध्याय में शामिल किए गए हैं।

भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है जिसे समय के साथ देश की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यह शासन के लिए एक लिखित दस्तावेज है जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्तियों के पृथक्करण और विधि के शासन को सुनिश्चित करता है।

1. भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1.1 सबसे लंबा लिखित संविधान

- मूल रूप से (1949) संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थी।
- वर्तमान में इसमें प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ हैं। (संविधान में अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं।)

1.2 विभिन्न देशों/अधिनियमों से भारतीय संविधान में शामिल किये गए प्रावधान-

देश/अधिनियम	प्रावधान		
ऑस्ट्रेलिया	<ul style="list-style-type: none">➤ समवर्ती सूची➤ व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता➤ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (संविधान का अनुच्छेद 108)		
कनाडा	<ul style="list-style-type: none">➤ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था➤ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना➤ राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा➤ सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन		
आयरलैंड	<ul style="list-style-type: none">➤ राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया)➤ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन➤ राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचन पद्धति		
जापान	<ul style="list-style-type: none">➤ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21)		
सोवियत संघ/रूस	<ul style="list-style-type: none">➤ मूल कर्तव्य➤ प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) (42वां संशोधन अधिनियम)		
ब्रिटेन / यूनाइटेड किंगडम	<table border="0"><tr><td><ul style="list-style-type: none">➤ संसदीय शासन प्रणाली➤ कानून का शासन➤ विधायी प्रक्रिया➤ एकल नागरिकता</td><td><ul style="list-style-type: none">➤ मंत्रिमंडलीय प्रणाली➤ परमाधिकार रिट➤ संसदीय विशेषाधिकार➤ द्विसदनीय व्यवस्था</td></tr></table>	<ul style="list-style-type: none">➤ संसदीय शासन प्रणाली➤ कानून का शासन➤ विधायी प्रक्रिया➤ एकल नागरिकता	<ul style="list-style-type: none">➤ मंत्रिमंडलीय प्रणाली➤ परमाधिकार रिट➤ संसदीय विशेषाधिकार➤ द्विसदनीय व्यवस्था
<ul style="list-style-type: none">➤ संसदीय शासन प्रणाली➤ कानून का शासन➤ विधायी प्रक्रिया➤ एकल नागरिकता	<ul style="list-style-type: none">➤ मंत्रिमंडलीय प्रणाली➤ परमाधिकार रिट➤ संसदीय विशेषाधिकार➤ द्विसदनीय व्यवस्था		

अमेरिका	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मौलिक अधिकार ➤ न्यायपालिका की स्वतंत्रता ➤ न्यायिक समीक्षा ➤ राष्ट्रपति का महाभियोग ➤ प्रस्तावना 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना ➤ उपराष्ट्रपति का पद ➤ कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति
जर्मनी (वाइमर गणतंत्र)	➤ आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन	
दक्षिण अफ्रीका	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) ➤ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 	
फ्रांस	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गणराज्य (निर्वाचित प्रमुख) ➤ प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श 	
भारत शासन अधिनियम, 1935 (वर्तमान संविधान का लगभग 50 से 60% हिस्सा)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संघीय संरचना ➤ राज्यपाल का पद 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ न्यायपालिका ➤ लोक सेवा आयोग ➤ आपातकालीन प्रावधान

1.3 अन्य प्रमुख विशेषताएं

विशेषता	विवरण
नम्यता और अनम्यता का मिश्रण	संविधान के कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है जबकि अन्य हेतु 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। (अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन)
धर्मनिरपेक्ष राज्य	भारत का कोई भी आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है।
संसदीय प्रणाली	ब्रिटेन की राज व्यवस्था पर आधारित जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
एकल नागरिकता	संघ द्वारा प्रदत्त एकल नागरिकता जो सभी राज्यों में मान्य है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए "एक व्यक्ति, एक वोट" के माध्यम से राजनीतिक समानता (मताधिकार की आयु को 61वें संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया)
स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय को शीर्ष पर रखते हुए पदानुक्रमिक न्यायपालिका, जो केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है।
मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्व	विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार; राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSPs) शासन को मार्गदर्शन देते हैं; मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं (42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए)।
सशक्त केंद्र वाला संघ	अविनाशी संघ, विनाशी राज्य (अनुच्छेद 1); आपातस्थिति में एकात्मक
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय	न्यायिक समीक्षा के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका; संसद को संविधान संशोधन का अधिकार।

स्वतंत्र निकाय	निर्वाचन आयोग (ECI), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) जैसे संस्थान निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करते हैं।
आपातकालीन प्रावधान	एकता, अखंडता, संप्रभुता और रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय।
त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था	73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 और 9-क में स्थानीय शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया।
सहकारिता	97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे शासन के एक मौलिक पहलू के रूप में जोड़ा गया।

2. भारतीय संविधान के भाग

भाग	विषय - वस्तु	अनुच्छेद
I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	36 से 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51(A)
V	संघ अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ न्यायपालिका अध्याय V - भारत का महान्यायवादी	52 से 151 52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 से 237 152 153 से 167 168 से 212 213 214 से 232 233 से 237
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243(ण)
IX-A	नगर पालिकाएँ	243(त) से 243(यछ)
IX-B	सहकारी समितियाँ	243(यज) से 243(यन)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 और 244(क)
XI	संघ और राज्यों के मध्य संबंध अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 से 263 245 से 255 256 से 263

XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय I - वित्त अध्याय II - उधार लेना अध्याय III - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264 से 300-क 264 से 291 292 से 293 294 से 300 300-क
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ अध्याय I - सेवाएँ अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 से 323 308 से 314 315 से 323
XIV-A	अधिकरण	323(क) और 323(ख)
XV	निर्वाचन	324 से 329(क)
XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330 से 342(क)
XVII	राजभाषा अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - प्रादेशिक भाषाएँ अध्याय III-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV-विशेष निर्देश	343 से 351(क) 343 से 344 345 से 347 348 से 349 350 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

3. भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूची क्रमांक	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार 2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका विस्तार
दूसरी अनुसूची	निम्नलिखित के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
तीसरी अनुसूची	निम्नलिखित के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान: 1. केन्द्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधान मण्डल के सदस्य 9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

चौथी अनुसूची	राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवी अनुसूची	केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा जिसमें तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है <ul style="list-style-type: none"> ➤ संघ सूची में 100 विषय हैं (मूल रूप से 97) ➤ राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल रूप से 66) ➤ समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल रूप से 47)

संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची	अवशिष्ट शक्तियाँ
इन विषयों पर केवल संघीय विधायिका ही कानून बना सकती है। <ul style="list-style-type: none"> ☑ रक्षा ☑ परमाणु ऊर्जा ☑ विदेश मामले ☑ युद्ध और शांति ☑ बैंकिंग ☑ रेलवे ☑ डाक और तार ☑ विमानन ☑ बंदरगाह ☑ विदेशी व्यापार ☑ मुद्रा और सिक्का निर्माण 	राज्य विधानमंडल को विशेष अधिकार है कि वे इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। <ul style="list-style-type: none"> ☑ कृषि ☑ पुलिस ☑ जेल ☑ स्थानीय सरकार ☑ लोक स्वास्थ्य ☑ भूमि ☑ शराब ☑ व्यापार और वाणिज्य ☑ पशुधन और पशुपालन ☑ राज्य सार्वजनिक सेवाएँ 	संघ और राज्य दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं <ul style="list-style-type: none"> ☑ शिक्षा ☑ कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण ☑ वन ☑ व्यापार संघ ☑ मिलावट सम्बन्धी मामले ☑ दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ अनुच्छेद 248 ☑ इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है ☑ केवल संघ विधानमंडल को ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है ☑ इसमें अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है

आठवी अनुसूची	<p>संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इनमें 14 भाषाएँ थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। <p>बाद में संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 21वें संशोधन अधिनियम (1967) द्वारा सिंधी जोड़ी गयी। ➤ 71वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गयी। ➤ 92वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गयी। <p>नोट: भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है – तमिल (2004), संस्कृत (2005), तेलुगु एवं कन्नड़ (2008), मलयालम (2013), ओड़िया (2014), मराठी (2024), पाली (2024), प्राकृत (2024), असमिया (2024), बंगाली (2024)।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इनकी घोषणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। संविधान से इनका कोई संबंध नहीं है। ➤ शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड: <ul style="list-style-type: none"> ✓ इसकी प्रारंभिक लिखित/अभिलेखित इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता जो लगभग 1500-2000 वर्षों की अवधि में फैली हो।
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक समृद्ध भंडार जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा विरासत के रूप में माना जाता हो। ✓ काव्य के अतिरिक्त गद्य ग्रंथों सहित ज्ञानपरक साहित्य, साथ ही अभिलेखीय (एपिग्राफिकल) एवं शिलालेखीय प्रमाण। ✓ शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने वर्तमान रूप से भिन्न हों अथवा बाद की विकसित शाखाओं/रूपों से निरंतरता में हों।
नौवीं अनुसूची	<p>इसमें राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13, वर्तमान में 282) शामिल है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं और साथ ही संसद के अन्य मामलों से जुड़े कानून भी शामिल है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इन्हें पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था ताकि इनमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जा सके। ➤ हालांकि, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
दसवीं अनुसूची	<p>संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान जो दल-बदल के आधार पर लागू होते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 52वें संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई, जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।
ग्यारवीं अनुसूची	<p>पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण, जिसमें 29 विषय शामिल हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 73वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची	<p>नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण, जिसमें 18 विषय शामिल हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 74वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई।

संवैधानिक संशोधन और आधारभूत संरचना का सिद्धांत

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1 सूची-A को सूची-B से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए: (2024)

सूची-A सूची-B (जिस संशोधन को चुनौती दी गई)

- | | |
|---|-------------------|
| A. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण | i. 42वाँ संशोधन |
| B. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ | ii. 52वाँ संशोधन |
| C. किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु | iii. 39वाँ संशोधन |
| D. पी. संबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | iv. 32वाँ संशोधन |

कूट

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) A-iv, B-ii, C-iii, D-I | (2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv |
| (3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii | (4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv |

प्रश्न 2 भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी ?

(2023)

- | | |
|-----------|------------|
| (1) छठी | (2) दसवीं |
| (3) नौवीं | (4) सातवीं |

प्रश्न 3 "भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करें"; अन्तःस्थापित किया गया (2018)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) 15वें संविधान संशोधन द्वारा | (2) 16वें संविधान संशोधन द्वारा |
| (3) 17वें संविधान संशोधन द्वारा | (4) 18वें संविधान संशोधन द्वारा |

विश्लेषण - संवैधानिक संशोधनों से संबंधित प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिससे यह अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस अध्याय में संशोधनों के प्रकार, संशोधन की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत और संवैधानिक संशोधनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए गए हैं। जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझाने और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए अध्याय में अभिनव, चित्रात्मक, स्पष्ट और प्रभावी प्रस्तुति विधियों का भी उपयोग किया गया है।


संवैधानिक संशोधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान देश की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार प्रासंगिक और अनुकूल बना रहे। संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन (राज्यसभा या लोकसभा) द्वारा की जा सकती है और इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे किसी निजी सदस्य (मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सांसद) द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत
- **स्रोत:** दक्षिण अफ्रीका का संविधान

अनुच्छेद	प्रावधान
368	संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया


2. संविधान संशोधन के प्रकार



संशोधन का प्रकार	विषय जिन्हें संशोधित किया जा सकता है	
साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ➤ नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव। ➤ राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या गठन। ➤ दूसरी अनुसूची में संशोधन (राष्ट्रपति, राज्यपालों, सभापतियों, न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार)। ➤ संसद में गणपूर्ति (न्यूनतम उपस्थिति) ➤ संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते ➤ संसद में कार्यवाही के नियम ➤ संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या ➤ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार ➤ राजभाषा का प्रयोग ➤ नागरिकता – अर्जन और समाप्ति ➤ संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन ➤ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ➤ केंद्र शासित प्रदेश ➤ 5वीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन ➤ 6वीं अनुसूची – जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ➤ संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
विशेष बहुमत द्वारा संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मौलिक अधिकार ➤ राज्य के नीति-निर्देशक तत्व ➤ अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं 	
संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। ➤ केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। ➤ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ➤ केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वस्तु और सेवा कर परिषद। ➤ 7वीं अनुसूची से सम्बंधित विषय। ➤ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ➤ संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

- ✓ संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में ही लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर सकते।
- ✓ इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ✓ किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।



नोट: 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देनी होगी, इसलिए राष्ट्रपति विधेयक को रोक या पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम

पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951


- 1** 9वीं अनुसूची
इसे भूमि अधिग्रहण कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लाया गया था।
- 2** अनुच्छेद 31क एवं 31ख
सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधि की सुरक्षा हेतु 31क और 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को सुरक्षित रखने के लिए 31ख।
- 3** 3 आधार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य 3 युक्तियुक्त निर्बन्धन शामिल किये गए-
1. लोक व्यवस्था 2. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध 3. अपराध के लिए उकसाना
- 4** अनुच्छेद 15
राज्य को अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सके।


सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

- 1 **राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश**
4 श्रेणियों में विभाजित राज्यों के तत्कालीन वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया।
- 2 **उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार**
उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया
- 3 **साझा उच्च न्यायालय**
एक से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना
- 4 **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश**
उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति

15वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963

- उच्च न्यायालय की रिट**
 - उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी कर सकते हैं, यदि मामला उनके प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर शुरू हुआ हो।
- न्यायाधीशों की आयु**
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
 - भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करें
- भत्ता**
 - ऐसे न्यायाधीशों के लिए मुआवजा भत्ते का प्रावधान किया गया, जिन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।
- कार्यवाहक न्यायाधीश**
 - उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान।
- अस्थायी न्यायाधीश**
 - उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का प्रावधान।





संविधान के अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की सूची	
9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1960	पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत-पाक समझौते (1958) के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई।
32वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1973	अनुच्छेद 371D तथा आंध्र प्रदेश में अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) की भूमिका से संबंधित। यह 32वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। (पी. संबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)
39वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को भारतीय न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यह 1975-1977 के आपातकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला)
41वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976	राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985	इस संशोधन अधिनियम को "दलबदल विरोधी कानून" के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गयी। (किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णयकर्ता के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अर्थात् इसका निर्णय अन्तिम नहीं माना जायेगा)
61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989	लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991	दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी प्रदान किया गया।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए, संशोधन में "नगरपालिकाएं" शीर्षक के साथ एक नया भाग 9-क जोड़ा गया। एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।